

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी अर्चना बुगालिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 18 / 2011

दायर दिनांक 02.02.2011

भैरूलाल	उनवान	देवीलाल
बनाम	बनाम	बनाम

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट0

निर्णय दिनांक: 24.01.2024

—:निर्णय:—

वकील वादी हाजिर नहीं। बार बार आवाज लगाई गई हाजिर नहीं। दिनांक 03.02.2023 को वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया इस बाबत पूर्व में दो बार अवसर प्रदान किये जा चुके हैं। वकील प्रतिवादी द्वारा निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजीयात 2461 श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय के निर्णय दिनांक 31.01.2018 से बिलानाम हो गयी है। वाद पत्र चलने योग्य नहीं। वादी द्वारा चाही गयी दाद इस प्रकरण से प्रदान नहीं कि जा सकती है। वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया।



(अर्चना बुगालिया)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

